O/o. E.D. (EITC)
CSPDCL Raipur
Receipt No. ......
Date 31 OCT 2018
AGM(IT)
SE (O)/SE ......
EE ......
Section ......

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड, में प्रथम अपीलीय अधिकारी
श्री एम. जेड. रहमान, महाप्रबंधक (मा.सं.), दूरभाष क्रं. –0771–2574700

अपील प्रकरण क्रमांक 07/2018 दिनांक 07.09.2018

श्री तोमेश्वर प्रसाद राजवाड़े
पिता श्री दशरथ राम राजवाड़े
पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय
सरगुजा रेंज, सरगुजा, अम्बिकापुर

अपीलार्थी

विरूद्ध

श्री सुनील कुमार खरे
जन सूचना अधिकारी
सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–दो
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि., डंगनिया, रायपुर

प्रतिअपीलार्थी

–:: आदेश ::–
(दिनांक 24.10.2018 को पारित)

अपीलार्थी श्री तोमेश्वर प्रसाद राजवाड़े की ओर से प्रकरण पर प्रथम अपील आवेदन प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी, सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–दो छ0ग0स्टे0पॉ0हो0कं0लिमि0, रायपुर के निर्णय से व्यथित होकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रस्तुत की है। जिसे अपील प्रकरण क्रमांक 07/2018 दिनांक 07.09.2018 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया है।

(2) प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री तोमेश्वर प्रसाद राजवाड़े ने प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी से निम्नलिखित जानकारी चाही गई थीः–

माह मई दिनांक 30,31.05.2018 को आयोजित ए.ई.(ट्रेनी) एवं जे.ई.(ट्रेनी) की परीक्षा के संबंध में नीचे लिखे जानकारी :–

i. जे.ई. इलेक्ट्रीकल ब्रांच के ओ.बी.सी. वर्ग में आए समस्त अभ्यार्थियों की प्रवीण सूची नाम रोल नम्बर एवं प्राप्तांक/प्रतिशत की सत्यप्रतिलिपि।
ii. जे.ई. इलेक्ट्रीकल ब्रांच के ओ.बी.सी. वर्ग में आए प्रवीण सूची के अभ्यार्थियों की उत्तरशीट की सत्यप्रतिलिपि।
iii. जे.ई. इलेक्ट्रीकल ब्रांच के ओ.बी.सी. वर्ग की न्यूनतम एवं अधिकतम कट–ऑफ नम्बर कितना गया है कि जानकारी।
iv. रोल नम्बर 1201040260 का उत्तरशीट की सत्यप्रतिलिपी।
v. अन्य जानकारी जो आवश्यक हो।

जनसूचना अधिकारी के द्वारा दी गई जानकारी से अपीलार्थी असंतुष्ट है। अपीलार्थी द्वारा निवेदन किया गया है कि उनके द्वारा अपनी पुत्री कु. पूनम रानी राजवाड़े के संबंध में जानकारी चाही गई है, जो विधि संगत एवं न्यायसंगत है, जिसका संबंध पुत्री के भविष्य से जुड़ा है जिसकी जानकारी प्रदाय करने की बाध्यता है, चाही गई जानकारी से किसी भी अन्य व्यक्ति का हित–अहित नहीं जुड़ा है। अतः अपील प्रस्तुत है, अतएव वांछित जानकारी/दस्तोवज प्रदान करने का कष्ट करें।

(3) उक्त प्रथम अपील आवेदन को स्वीकार करते हुए सूचना पत्र क्रमांक 01–02/अ.अ./प्र.क्र. –07/2018/2276 दिनांक 18.09.2018 के माध्यम से प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी को **दिनांक 25.09.2018** को सांय 4.00 बजे व्यक्तिगत रूप से कक्ष क्रमांक जी –09 में उपस्थित होकर प्रकरण पर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया, एवं अपीलार्थी श्री राजवाड़े को भी उनके द्वारा दिये गये पते पर स्वंय अथवा अधिकृत प्रतिनिधि निर्धारित श्रवण तिथि एवं नियत समय पर इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रकरण में अपना पक्ष/तर्क प्रस्तुत किये जाने हेतु सूचित किया गया। निर्धारित सुनवाई तिथि को प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी उपस्थित एवं अपीलार्थी अनुपस्थित रहे। अतएव प्रकरण पर सुनवाई की कार्यवाही संपन्न नहीं की जा सकी।

उपरोक्तानुसार अपीलार्थी को प्रकरण में अपना पक्ष रखने का समुचित (अंतिम अवसर) प्रदान करते हुए सूचना पत्र क्रमांक 01–02/अ.अ./प्र.क्र.–07/2018/24 दिनांक 15.10.2018 के माध्यम से अपील प्रकरण की सुनवाई पुनः **दिनांक 24.10.2018 को सायं 4:00** बजे निर्धारित करते हुए दोनो पक्षों को सूचित किया गया। उक्त निर्धारित सुनवाई तिथि को अपीलार्थी अनुपस्थित एवं प्रतिअपीलार्थी उपस्थित हुए। चुंकि अपीलार्थी को पक्ष प्रतिरक्षण प्रस्तुत करने का समुचित (02) अवसर दिये जाने पर भी वे सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए, अतएव प्रकरण पर एकपक्षीय सुनवाई की कार्यवाही की गई।

(4) प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी के द्वारा मौखिक रूप से अपना पक्ष रखते हुए अवगत कराया गया कि आवेदक द्वारा कंडिका 02/टीप में चाही गई बिन्दुवार जानकारी प्रबंधक (मा.सं.) –आठ, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर के कार्यक्षेत्र से संबंधित होने के कारण जानकारी उपलब्ध कराये जाने हेतु पत्र क्रमांक 1855 दिनांक 27.07.2018 के द्वारा लेख किया गया। जिसके प्रत्युत्तर में संबंधित प्रभाग द्वारा अपने यू.ओ.नोट क्र. 614 दिनांक 08.08.2018 के माध्यम से अवगत कराया गया कि **"सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)–(ञ) में निहित प्रावधानों के अनुसार व्यक्तिगत सूचना के संबंध में जानकारी प्रकटन हेतु जब तक उसका संबंध लोक क्रियाकलाप या लोकहित से ना हो या जिसमें लोकहित सन्निहित ना हो, प्रकटन नहीं किया जाना है। अतः आवेदक को वांछित जानकारी दिया जाना उचित नहीं है।"** तत्पश्चात् कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2004 दिनांक 13.08.2018 के माध्यम से आवेदक को निर्धारित समयावधि के भीतर उपरोक्त वस्तुस्थिति से अवगत करायी गई।

(5) सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपील पर निर्णय करना एक अर्द्ध न्यायिक कार्य है। अतः अपील के निराकरण में पूर्ण पारदर्शिता एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वांत की अनुपालन अपेक्षित हैं। इसलिये अपीलीय अधिकारी के लिये यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि न्याय केवल हो ही नही, बल्कि वह होते हुए दिखाई भी दे। यद्यपि अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि किसी भी नागरिक को सभी विषयों पर सूचना दी जा सकती है, यदि जिस विषय पर सूचना मांगी गई

है। बशर्ते चाही गई जानकारी स्पष्ट व कार्यालयीन अभिलेखों/दस्तावेजों में उपलब्ध हो एवं अधिनियम के अनुरूप मान्य हो।

(i) उक्त तिथि को संबंधित अभिलेखों/दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा प्रतिअपीलार्थी के तर्क श्रवण किये गये।

(ii) अपीलार्थी का अपील आवेदन तर्क कि मूल आवेदन में वांछित जानकारी उनकी पुत्री कु. पूनम रानी राजवाड़े के भविष्य से संबंधित है, जिसकी जानकारी प्रदाय करने की बाध्यता है। चूंकि चाही गई जानकारी से किसी भी अन्य व्यक्ति का हित अहित नहीं जुड़ा है। किन्तु जनसूचना अधिकारी द्वारा अधिनियम की **धारा 8(1)–(ञ) में निहित प्रावधानों** के अंतर्गत जानकारी नहीं दी गई है। अतएव तत्संबंध में जो भी दस्तावेज है उन्हें प्रदान की जावे।

(iii) उपरोक्त के प्रत्युत्तर में प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि कंडिका 02/टीप में वांछित बिन्दुओं की जानकारी/दस्तावेज के संबंध में नियमानुसार वस्तुस्थिति से अपीलार्थी को अवगत करायी गई है, जो निम्नानुसार है :–

"सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)–(ञ) में निहित प्रावधानों के अनुसार व्यक्तिगत सूचना के संबंध में जानकारी प्रकटन हेतु जब तक उसका संबंध लोक क्रियाकलाप या लोकहित से ना हो या जिसमें लोकहित सन्निहित ना हो, प्रकटन नहीं किया जाना है। अतः आवेदक को वांछित जानकारी दिया जाना उचित नहीं है।"

जैसा कि कंडिका 02/टीप के बिन्दु क्रमांक 02 एवं 04 में वांछित जानकारी यथा उत्तरशीट की प्रति जो तृतीय पक्ष की जानकारी है, जिसका प्रकटन लोकहित में अपेक्षित नहीं है।

केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली द्वारा अपील क्रमांक CIC/WB/A/2008/01041 Dated 10.02.2010 श्री सुनील कुमार सिंह विरूद्ध संघ लोक सेवा आयोग में पारित निर्णय के अनुसार **"संघ लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा दी जाने पर परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के संबंध में —— आयोग द्वारा अभिमत दिया गया है कि परीक्षा के परिणाम घोषित किये जाने के पश्चात् जानकारी दीं जा सकती है, परंतु प्रत्येक प्रश्न पत्र में जितने अंक प्राप्त किये गये उन्हें दस्तावेजों के साथ बताया जाना उस स्थिति में उचित एवं तर्कसंगत नहीं है, जब परीक्षा के कई आधारों को गोपनीय रखा जाता है।"**

(6) इस संपूर्ण प्रकरण को देखते हुए यह स्पष्ट है कि उल्लेखित कंडिका 4/टीप में जो जानकारी/दस्तावेज अपीलार्थी को उपलब्ध करायी गई है, वह उचित एवं कंडिका 5(iii) में दिये गये प्रत्युत्तर, नियमानुसार पर्याप्त परिलक्षित होते हैं, जो तर्कसंगत है। जहाँ तक कंडिका 02/टीप की बिन्दु क्रमांक 01,02 एवं 04 में उल्लेखित जानकारी का प्रश्न है **उक्त जानकारी तृतीय पक्ष से संबंधित सूचना है। उत्तर पत्रक तक पहुंच उम्मीदवारों को प्रदान नहीं की जा सकती है, जो वैश्वासिक संबंध से संबंधित है, और वैश्वासिक संबंध है। जो परीक्षक एवं परीक्षा संचालित करने वाले प्राधिकारी के बीच विद्यमान होता है। अपीलार्थी द्वारा महत्वपूर्ण तथ्यों से यह सिद्ध किया जाना आवश्यक है कि उक्त सूचना दिये जाने मे लोकहित निहित है और जानकारी दिया जाना विधिसंगत है।**

कंडिका 02/टीप के बिन्दु क्रमांक 03 में अपीलार्थी के द्वारा जे.ई. इलेक्ट्रीकल ब्रांच के ओ.बी.सी. वर्ग की न्यूनतम एवं अधिकतम कट–ऑफ नम्बर की जानकारी चाही गई है, जो तृतीय पक्ष से संबंधित सूचना परिलक्षित नहीं होती है, जो उपलब्ध कराये जाने योग्य है। किन्तु तत्कालीन समयावधि में जे.ई. इलेक्ट्रीकल ब्रांच की भर्ती प्रक्रियाधीन थी, जो आज दिनांक तक भी प्रक्रियाधीन है, अतएव वर्तमान परिस्थितियों में उक्त जानकारी का प्रकटन किया जाना उचित नहीं है। अतएव प्रकरण पर प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी के द्वारा जो कार्यवाही की गई है, वह न्याय संगत है, जो स्वीकार योग्य है।

उपरोक्त कंडिका 06 के दृष्टिगत दाखिल प्रथम अपील प्रकरण (पंजीयन क्रमांक 07/2018 दिनांक 07.09.2018) एतद् द्वारा नस्तीबद्ध की जाती है।

(एम.जेड.रहमान)
अपीलीय अधिकारी
सह महाप्रबंधक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष कमांक –0771–2574700

क्रमांक 01–02/अपील प्रकरण –07/2018/ 33 **रायपुर, दिनांक 24/10/2018**

प्रतिलिपिः–

1. जनसूचना अधिकारी सह उपमहाप्रबंधक (मा0सं0)–दो, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रबंधक (मा.सं.)–आठ, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
3. **श्री तोमेश्वर प्रसाद राजवाड़े, पिता – श्री दशरथ राम राजवाड़े, पुलिस महानिरीक्षक, कार्यालय सरगुजा रेंज, सरगुजा अम्बिकापुर, (छ.ग.)** को सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य अभियंता (EITC), छ.ग.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लिमि.,रायपुर –उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी चाहें तो छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील आवेदन निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकतें है।

पताः– सचिव,
छत्तीसगढ राज्य सूचना आयोग
सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, अटल नगर
जिला–रायपुर (छ.ग.) पिन – 492002
दूरभाष–0771–2512106,2512108

(एम.जेड.रहमान)
अपीलीय अधिकारी
सह महाप्रबंधक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष कमांक –0771–2574700